Subject: **Fwd: Re: COMMENTS ON CONSULTATION PAPER No. 1/2016**
To: Manoj Verma <manoj@trai.gov.in>
Cc: Shreya Jain <shreya@trai.gov.in>

Date: 04/08/16 04:14 PM
From: Group Captain Umesh Kumar <umesh@trai.gov.in>

consultation Paper-1.jpg (639kB) consultation Paper-2.jpg (498kB)

-------- Original Message --------
From: **"Dr. A. K. Rastogi"** <dr.akrastogi@gmail.com>
Date: Apr 8, 2016 4:07:35 PM
Subject: Re: COMMENTS ON CONSULTATION PAPER No. 1/2016
To: "Pr. Advisor TRAI" <pradvbcs@trai.gov.in>, umesh@trai.gov.in

Dear Mr. S.K. Gupta,

PFA for Comments on Consultation Paper.
Kindly knowledgeable.

Regards,

Dr. A. K. Rastogi
President, All India Aavishkar Dish Antenna Sangh
M:+91-9811110410

--

Group Captain Umesh Kumar ग्रुप कप्तान उमेश कुमार
Joint Advisor संयुक्त सलाहकार
Broadcast and Cable Services Division प्रसारण और केबल सेवाएं प्रभाग
Telecom Regulatory Authority of India भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Mahanagar Doorsanchar Bhawan महानगर दूरसंचार भवन
J.L.Nehru Marg, Old Minto Road जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पुराना मिंटो रोड
(Near Zakir Hussain College) (ज़ाकिर हुसैन कॉलेज के समीप)
New Delhi - 110002 नई दिल्ली - 110002

Ph. No: +91 11 232664252 (Off); Telefax: +91 11 23220442; Mob: +91 964-380-4851

Email: umesh@trai.gov.in

Your Attitude, not your Aptitude, will determine your Altitude - Zig Ziglar

consultation Paper-1.jpg

ट्राई द्वारा टैरिफ इश्यू पर जारी परामर्शपत्र नं.1/2016 के संदर्भ

1. प्रत्येक ब्रॉडकास्टर को अपने पे चैनलों की दरों की स्पष्ट घोषणा अपने चैनल पर करनी चाहिए ताकि सब्सक्राइबर को पता चल सके कि उसे किस चैनल के लिए कितना भुगतान करना है।

2. सब्सक्राइबर से वसूले गए पैसे की शेयरिंग ब्रॉडकास्टर, एम.एस.ओ. और केबल टी.वी. ऑपरेटर के बीच कैसे हो, उसका एक स्पष्ट फार्मूला बनाया जाना चाहिए।

अ) ब्रॉडकास्टर्स के पे चैनल का प्रोगाम देश विदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। पे चैनलों की आय विज्ञापनों एवं सब्सक्रिप्शन की आय के अतिरिक्त अन्य स्रोतरो से होती है अत: उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि में से इनकी हिस्सेदारी अंश मात्र होनी चाहिए।

ब) एम.एस.ओ. की आय के भी अनेक स्रोत हैं। उन्हें विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन व कैरिज फीस के साथ-साथ अन्य वैल्यूएडेड सर्विस से भी आय होती ह। जबकि हैडऐंड को खड़ा करने में उसे वनटाइम इन्वैस्टमैंट करना पड़ता है। अत: एम.एस.ओ. को भी उपभोक्ता से वसूली गई राशि में से बहुत कम हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

स) तीसरा शेयर होल्डर एल.सी.ओ. है, एल.सी.ओ. के पास अतिरिक्त आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है जब कि उपभोक्ताओं को चैनल वही उपलब्ध कराता है वही इस व्यवसाय की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भी है। वह पूर्णत: उपभोक्ता से मिली राशि के हिस्से पर निर्भर है। अत: उसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक होनी चाहिए।

3. पे चैनलों की बंडलिंग का अधिकार सब्सक्राइबर को ही होना चाहिए। उसे कौन सा चैनल चाहिए ये चुनने का अधिकर सब्सक्राइबर का ही हैं।

4. कैस के अंतर्गत 2004 में 5 रुपए प्रति पे चैनल देना तय किया गया था। आज 160 पे चैनल प्रचलन में हैं। 5 रुपए के हिसाब से अगर उपभोक्ता सभी चैनल देखना चाहता है तो सीधे-सीधे 800 रुपए हो जाते हैं। जो अनुचित होगा क्योंकि कैस अथवा डैस कानून उपभोक्ता के हितार्थ बिनाया गया है। इसलिए बंडलिंग का रेट आ.ला.कार्टे के मुकाबले 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

5. पे चैनलों का रेट सभी वितरकों के लिए एक समान होना चाहिए। चाहे डी.टी.एच. हो, हिट्स हो या एम.एस.ओ.।

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410

consultation Paper-2.jpg

6. प्राइस फ्रीज नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं पर निर्भर है कि वह कितने चैनल देखना चाहता है। सब्सक्राइबर अगर सभी चैनल देखना चाहता है और उसके लिए खर्च भी करना चाहता है तो प्राइस फ्रीज करने की आवश्यक्ता ही नहीं है।

7. विज्ञापन रहित पे चैनल की दरें अधिक होनी चाहिए।

8. कैरिज फीस, यह ब्रॉडकास्टर्स और एम.एस.ओ. के बीच का मामला है। उन्हीं पर छोड़ देना ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

9. आज जरूरत है, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच बढ़ते विवादों पर नियंत्रण पाने के लिए एक काउंसिल ऑफ केबल टी.वी. के गठन की। इस काउंसिल में केबल टी.वी. और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के सभी पक्ष शामिल होने चाहिए। सभी पक्ष आपस में बैठ कर सामंजस्य पैदा करें और हर मामले को कोर्ट में न ले जाएं और सरकार को सही सुझाव दें।

10. देशभर के उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी होना चाहिए। इस नंबर को काउंसिल ऑफ केबल टी.वी. के सुपुर्द कर देना चाहिए ताकि वो उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुन सके।

11. ट्राई से अनुरोध है की परामर्शपत्र की संख्या कम से कम होनी चाहिए एवं हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध होना चाहिए जिससे की देशभर के सभी केबल ऑपरेटर आसानी से पढ़ सके और अपने सुझाव दे सके।

धन्यवाद

डॉ.ए.के.रस्तोगी
अध्यक्ष: ऑल इंडिया अविष्कार डिश एंटीना संघ
फोन न. 9811110410
ई-मेल. dr.akrastogi@gmail.com

All India Aavishkar Dish Antenna Sangh (Regd.)
B-262, Indra Nagar, Delhi-110 033
Telefax : +91-11-27672736 Mobile : +91-9811110410, 9311110410